

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुक्ता राव, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 64/2022

निर्णय दिनांक : 27.12.2023

सुनीता पत्नी कानाराम, जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।

-वादीया


बनाम

1. कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू जरिये नाबालिक संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा, जाति-मीणा, निवासी-ग्राम चिताणुकला, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम चिताणुकला, पटवार हल्का चिताणुकला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नई खाता संख्या 467 व पुरानी खाता संख्या 171 की आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि तथा इसी प्रकार नई खाता संख्या 113 व पुरानी खाता संख्या 85 की आराजी खसरा नम्बर 939 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि इस वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि है। वादपत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित नई खाता संख्या 467 व पुरानी खाता संख्या 171 की आराजी भूमि में वादीया का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है तथा इसी प्रकार नई खाता संख्या 113 व पुरानी खाता संख्या 85 की आराजी भूमि में वादीया का 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा निहित है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में उल्लेखित आराजी कृषि भूमि बाबत वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा हो रखा है जिस बाहमी बटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या-1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादग्रस्त आराजियात में बाहमी बटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है तथा लगान सरकार में जमा करते आ रहे हैं। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का कानूनन विधि अनुसार पक्षकारों के मध्य हुये बाहमी बटवारे के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ तथा पक्षकारगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर बाहमी बटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वर्तमान में वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि जयपुर शहर के निकट होने के कारण उक्त विवादग्रस्त भूमि के भावों में तीव्र बढ़ोतरी हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकासमा कराये विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचने पर आमदा हो रहे हैं तथा प्रतिवादी संख्या-1 वादग्रस्त भूमि में वादीया के हिस्से में आई बहामी बटवारे के अनुसार कब्जे की भूमि में से मौके पर पेड काटने पर उतारू हो रहा है किन्तु उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि वादीया व प्रतिवादी 1 की अविभाजित भूमि सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिसका वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा हो रखा है, जिसके अनुसार वादीया व प्रतिवादी संख्या-1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर नितान्त आवश्यक है। दिनांक 18-07-2022 को प्रतिवादी संख्या 1 पाँच-सात दीगर व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और विवादग्रस्त कृषि भूमि वादीया की बाहमी बटवारे के अनुसार आयी कब्जे काश्त की भूमि को दिखाने लगे वादीया द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि हम उक्त विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू-भाग के रूप में उक्त दीगर व्यक्तियों को बेचेंगे व वादीया की कब्जे काश्त की भूमि से पेडों की कटाई करेंगे। जिस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि अभी विवादग्रस्त भूमि का कानूनन विभाजन नहीं हुआ है तथा उक्त भूमि तो बाहमी बटवारे के अनुसार मेरे हिस्से में आयी है इस कारण आप भूमि का बेचान नहीं कर सकते हैं और ना ही मेरे हिस्से में आई भूमि से पेडों की कटाई कर सकते हो, पहले भूमि का विभाजन करवा लो उसके बाद भूमि का बेचान कर देना। उक्त बात को सुनकर प्रतिवादी संख्या 1 व उनके साथ आये पाँच-सात दीगर व्यक्ति वादीया को धमकाने लगे की हम तो उक्त विवादग्रस्त भूमि का दीगर व्यक्तियों को बेचान करेंगे और पेड काटकर रहेंगे और विवादग्रस्त भूमि पर प्लाटो का निर्माण करेंगे तुम्हें जो करना हो सो कर लो उक्त प्रतिवादी संख्या 1 की धमकी के कारण उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ है। ऐसे में वादीया को यह अधिकार हासिल है कि वह मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर वाद


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित नई खाता संख्या 467 व पुरानी खाता संख्या 171 की आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 2/3 हिस्सा तथा इसी प्रकार नई खाता संख्या 113 व पुरानी खाता संख्या 85 की आराजी खसरा नम्बर 939 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 5/6 हिस्सा निहित है का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि का अलग पर्चा जारी करावे व प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का बिना विभाजन कराये बेचान व हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश व किसी प्रकार से अन्तरित ना करे, ना ही विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान करे, ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करावे, ना ही पेड़ों की कटाई करे तथा ना ही वादिया को बाहमी बटवारे के अनुसार आई उसके कब्जे हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करे, तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 2 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करे तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 3 वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का कोई विकय पत्र हस्तान्तरण पत्र तस्दीक करे, तथा ना ही उक्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, व वर्कमेन, कर्मचारी इत्यादि से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10.02.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्राथमिक डिक्री हेतु नियत किया गया। दिनांक 26.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस वकील वादी प्राथमिक डिक्री सुनी गई। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रजात रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार आमेर मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 20.07.2023 से पूर्व भिजवाई जावे। दिनांक 04.10.2023 को तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/2974 दिनांक 06.09.2023 को कुर्रजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी एवं पत्रावली वास्ते बहस कुर्रजात हेतु नियत की गई। दिनांक 26.12.2023 को प्रकरण में बहस कुर्रजात सुनी गई। वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी

ग्राम चिताणुकला, पटवार हल्का चिताणुकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलोची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नई खाता संख्या 467 व पुरानी खाता संख्या 171 की आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि तथा नई खाता संख्या 113 व पुरानी खाता संख्या 85 की आराजी खसरा नम्बर 939 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि कातकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
खाता सं 467	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार, सुनीता पत्नी कानाराम, हिस्सा 2/3 जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर।	938	0.1100	चाही 1	
खाता सं 113	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/6 जाति मीणा सह.देह खातेदार, सुनीता पत्नी कानाराम, हिस्सा 5/6 जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर।	939	0.2400	चाही 1	

Subir
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीणा देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा सह.देह खातेदार	938	0.0767	चाही 1	
2	सुनीता पत्नी कानाराम, हिस्सा सम्पूर्ण जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर।	939 938/1	0.2400 0.0333	चाही 1 चाही 1	

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Mukta

(मुक्ता राव)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व इजलास मुक्ता राव,

आर.ए.एस

वाद संख्या : 64 / 2022

निर्णय दिनांक : 27.12.2023

सुनीता पत्नी कानाराम, जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।

-वादीया

बनाम

1. कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू, जरिये नाबालिक संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा, जाति-मीणा, निवासी-ग्राम चिताणुकला, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर।
3. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वाके ग्राम चिताणुकला, पटवार हल्का चिताणुकला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित नई खाता संख्या 467 व पुरानी खाता संख्या 171 की आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि तथा नई खाता संख्या 113 व पुरानी खाता संख्या 85 की आराजी खसरा नम्बर 939 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर तकासमा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
खाता सं 467	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/3 जाति मीणा सह.देह खातेदार, सुनीता पत्नी कानाराम, हिस्सा 2/3 जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर।	938	0.1100	चाही 1	
खाता सं 113	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा 1/6 जाति मीणा सह.देह खातेदार, सुनीता पत्नी कानाराम, हिस्सा 5/6 जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर।	939	0.2400	चाही 1	


कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि					
क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	नाबालिग कृष्ण मीणा दत्तक पुत्र पांचू संरक्षक मीना देवी पत्नी गोपाल लाल मीणा हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा सह.देह खातेदार	938	0.0767	चाही 1	
2	सुनीता पत्नी कानाराम, हिस्सा सम्पूर्ण जाति-मीणा, निवासी- ए-127, लोटस विला, बाढ चेला की ढाणी, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर।	939 938/1	0.2400 0.0333	चाही 1 चाही 1	

(Signature)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी की गई।


मुहर

दस्तखत 

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर